न्यायालय श्री सुनील भाटी, R.A.S अतिरिक्त कलक्टर (द्वितीय), जयपुर।

प्रार्थना पत्र 14(4) संख्या : 02/2015

नाथूलाल पुत्र धीस्या, जाति–जाट, निवासी–श्रीसवाई जयसिंहपुरा, तहसील–चाकसू जिला–जयपुर (मृतक)।

1/1 मांगी देवी पत्नी स्व0 श्री नाथूलाल, निवासी–श्रीसवाई जयसिंहपुरा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।

प्रार्थी,

बनाम

1. राधाकिशन पुत्र चन्दा, जाति–जाट, निवासी–श्रीसवाई जयसिंहपुरा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
2. राधाकिशन पुत्र जगन्नाथ, जाति–जाट, निवासी–श्रीसवाई जयसिंहपुरा, तहसील–चाकसू, जिला–जयपुर।
3. सरकार जरिये तहसीलदार चाकसू, जिला–जयपुर।

अप्रार्थीगण,

(प्रार्थना पत्र अन्तर्गत नियम 14(4) राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आंवन्टन) नियम, 1970 विरूद्ध आंवन्टन आदेश दिनांक 08.01.1968 तहसीलदार, चाकसू, जिला–जयपुर)।

उपस्थितः–

1. श्री सन्तोष पाल मीणा, अभिभाषक, प्रार्थी की ओर से।
2. श्री शिवसिंह चौधरी, अभिभाषक, अप्रार्थी सं0 1 व 2 की ओर से।
3. श्री विजय चाहर राजकीय अभिभाषक।

दिनांक : 15.11.2017

निर्णय

ग्राम श्रीसवाई जयसिंहपुरा की साबिका आराजी खसरा नं0 251 रकबा 15 बीधा में से 4 बीधा आराजी राधाकिशन पुत्र जगन्नाथ, जाति–जाट, निवासी–श्रीसवाई जयसिंहपुरा को राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि का आवंटन) नियम, 1957 के अन्तर्गत दिनांक 08.01.1968 को आवंटित की गई है, जिससे व्यथित होकर यह प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत हुआ है।

उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर कराया जाकर नोटिस अप्रार्थीगण जारी किये गये व मिसल मातहत न्यायालय तलब की गई।

उभय–पक्षों की बहस सुनी गई। प्रार्थी के विद्वान् अभिभाषक श्री सन्तोष पाल मीणा का कथन है कि आवंटन दिनांक 08.01.1968 विधि–विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत होने से निरस्तनीय है। अप्रार्थी सं0 1 राधाकिशन पुत्र चन्दा ने छल–कपटपूर्वक राधाकिशन पुत्र जगन्नाथ के नाम से आवंटन प्रस्तुत किया हैं तथा आवंटन फर्जी नाम से आवंटन कराया हैं। आंवटन दिनांक 08.01.1968 को ग्राम–श्रीसवाई जयसिंहपुरा में राधाकिशन पुत्र जगन्नाथ नाम का कोई व्यक्ति नहीं था और ना ही उसने कोई आवंटन हेतु प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया हैं। ग्राम श्रीसवाई जयसिंहपुरा में आज भी राधाकिशन पुत्र जगन्नाथ नाम से कोई व्यक्ति नहीं हैं। अप्रार्थी सं0 1 ने तहसील कर्मचारियों से मिलीभगत कर गलत रिपोर्ट करवाकर आवंटन कराया हैं। आवंटन दिनांक 08.01.1968 को जब अप्रार्थी सं0 2 नाम का कोई व्यक्ति ही नहीं हैं, तो उसका कब्जा होने का कथन स्वतः ही गलत हैं और कब्जे के अभाव में आवंटन की शर्तो की पालना न होने से गलत तथ्य प्रस्तुत कर छल–कपट से प्राप्त किया गया आवंटन निरस्तनीय हैं। आवंटन आदेश राधाकिशन पुत्र जगन्नाथ के नाम से किया गया हैं और गैर–खातेदारी से खातेदारी का नामान्तरकरण सं0 105 दिनांक 05.02.1976 राधाकिशन पुत्र चन्दा, जाति–जाट के नाम से स्वीकार किया गया हैं। इससे स्पष्ट हैं कि आवंटन आदेश दिनांक 08.01.1968 फर्जकारी कर अप्रार्थी सं0 1 ने अप्रार्थी सं0 2 के नाम करवाया हैं जो निरस्तनीय हैं। ग्राम श्रीसवाई जयसिंहपुरा की निर्वाचक नामावली में अप्रार्थी सं0 1 राधाकिशन पुत्र चन्दा का नाम दर्ज हैं। इस ग्राम में राधाकिशन पुत्र जगन्नाथ नाम का व्यक्ति निर्वाचक नामावली में अंकित नहीं हैं। आवंटी राधाकिशन पुत्र जगन्नाथ जाट जो कि वास्तविक रूप से अप्रार्थी सं0 1 राधाकिशन पुत्र चन्दा ही हैं और सिवायचक भूमि को हथियाने की गरज से गलत तथ्य प्रस्तुत कर आवंटन कराया हैं। वास्तविक व्यक्ति राधाकिशन पुत्र चन्दा आवंटन के दिन भूमिहीन नहीं था उसके पिता के नाम ग्राम श्रीसवाई जयसिंहपुरा में कृषि भूमि थी और इसीलिए फर्जी वल्दियत के तथ्य गलत रूप से प्रस्तुत कर धोखाघडी से बिना किसी अधिकार के आवंटन कराया हैं, जो निरस्तनीय हैं। इस प्रकार कूट–रचित दस्तावेजों के आधार पर आराजी खसरा नं0 251 रकबा 4 बीधा जिसके हाल खसरा नं0 1028 रकबा 1.01 हे0 की खातेदारी बेनामी व्यक्ति के नाम से राजस्व रिकार्ड में दर्ज हैं, जो प्रारम्भ से शून्य आधारित आवंटन आज्ञा के आधार पर होने से निरस्तनीय हैं। इस व्यक्ति राधाकिशन पुत्र चन्दा निवासी–श्रीसवाई जयसिंहपुरा ने इसी प्रकार की धोखाधड़ी कर ग्राम गोग्यावास की आराजी खसरा नं0 100 रकबा 5 बीधा भूमि तथ्यों

न्यायालय अति. कलक्टर ... जयपुर

को छिपाकर व गलत कूटरचित दस्तावेजात् बनाकर षड्यंत्रपूर्वक नियमों के विपरित दिनांक 27.09.1966 को आवंटन कराया हैं, जिसके निरस्तीकरण हेतु भी प्रार्थना पत्र 14(4) पृथक से प्रस्तुत किया गया हैं। चूंकि आवंटन दिनांक 08.01.1968 कूट–रचित दस्तावेजात् के आधार पर प्राप्त किया गया हैं ऐसी स्थिति में गलत तथ्य प्रस्तुत कर कपटपूर्ण तरीके से प्राप्त किये आवंटन को निरस्त कराये जाने हेतु चुनौति देने को किसी प्रकार की समय सीमा नहीं हैं। कपटपूर्वक तरीके से प्राप्त किये गये आवंटन को कभी भी चुनौति दी जा सकती हैं। अतः प्रार्थना–पत्र 14(4) स्वीकार फरमाया जाकर दिनांक 08.01.1968 को कपट–पूर्ण तरीके से प्राप्त किये गये बेनामी आवंटन को निरस्त फरमाया जावे। प्रार्थी के विद्वान् अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्तों का वरवक्त बहस अभिकथन किया हैं :–

1. आरआरडी 2007 पेज 340
2. आरआरटी 2009 (2) पेज 1273
3. आरआरडी 2010 पेज 78
4. आरआरडी 2006 पेज 198
5. आरआरडी 2012 पेज 01
6. आरआरटी 2009 (1) पेज 64
7. आरआरटी 2009 (1) पेज 113
8. आरआरटी 2014 (1) पेज 597
9. आरआरटी 2015 (2) पेज 790

अप्रार्थी संख्या 1 व 2 के विद्वान् अभिभाषक श्री शिवसिंह चौधरी का कथन है कि चुनौती अधीन आंवटन आज्ञा दिनांक 08.01.1968 विधि–विधान एवं पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के अनुरूप पारित की गई है। प्रार्थी के विद्वान् अभिभाषक का यह कथन गलत है कि विवादग्रस्त आराजी खसरा नं0 251 रकबा 4 बीधा वाके ग्राम श्रीसवाई जयसिंहपुरा का आवंटन छल–कपटपूर्वक कराया गया हैं बल्कि सही तथ्य यह हैं कि प्रार्थी द्वारा अप्रार्थी संख्या 1 व 2 जो कि एक ही व्यक्ति हैं, को हैरान व परेशान कर बर्बाद करने की नियत से आवंटन दिनांक 08.01.1968 के विरूद्ध बदनियति से गलत तथ्यों के आधार पर एक अरसे–दराज के पश्चात् प्रार्थना पत्र 14(4) प्रस्तुत किया गया हैं। अप्रार्थी राधाकिशन अनपढ भूमिहीन गरीब काश्तकार हैं और आवंटन की दिनांक को अप्रार्थी द्वारा आवंटन हेतु प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है जिसके सभी तथ्यों एवं पात्रता की जांच कर अप्रार्थी के हक में आवंटन किया गया है। आवंटन के पश्चात् अप्रार्थी को पटवारी हल्का द्वारा कब्जा संभलाया गया हैं और आवंटन दिनांक से ही आवंटी बतौर सद्भाविक काश्तकार काबिज–काश्त रहा हैं।

अप्रार्थी द्वारा वरवक्त आवंटन प्रस्तुत किये गये आवंटन प्रार्थना पत्र में अपनी वल्दियत के सही तथ्य अंकित किये हैं अप्रार्थी द्वारा प्रस्तुत किया गया आवंटन प्रार्थना पत्र यदि वर्तमान में आवंटन पत्रावली में उपलब्ध नहीं है तो इसके लिऐ आंवन्टी/खातेदार को दोषी नहीं ठहराया जा सकता है। अप्रार्थी राधाकिशन, चन्दा का जायन्दा पुत्र हैं और अप्रार्थी को जगन्नाथ ने गौद ले लिया था। चन्दा की फौतगी पर विरासत का नामान्तरकरण उसके एक पुत्र छगन के नाम स्वीकार किया गया हैं। सरपंच ने तस्दीक किया हैं कि राधाकिशन, जगन्नाथ के गौद गया हुआ हैं। वरवक्त आवंटन न तो अप्रार्थी के प्राकृतिक पिता चन्दा के खाते में अथवा गौद पिता जगन्नाथ के खाते में इतनी भूमि नहीं थी कि अप्रार्थी आंवन्टन का पात्र न हो। अप्रार्थी का वरवक्त आवंटन यदि कोई नोशनल शेयर भी रहा हो तो भी आवंटन नियमों में निर्धारित सीमा से अधिक आवंटन नहीं हुआ हैं। पत्रावली पर ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किये गये है जो अप्रार्थी की बदनियति को साबित करता हो। प्रार्थी द्वारा जो आरोप लगाया हैं मात्र कपोल–कल्पित हैं। आवंटन आदेश दिनांक 08.01.1968 में स्पष्ट रूप से राधाकिशन पुत्र जगन्नाथ, जाति–जाट अंकित किया हुआ हैं जिसमें दत्तक पुत्र होना आवंटन सलाहकार समिति/आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटन आदेश दिनांक 08.01.1968 में अंकित नहीं की गई हैं यदि आवंटन अधिकारी द्वारा आवंटियों के आवंटन आदेश में वल्दियत दर्ज नहीं की गई हैं तो इसके लिए 50 वर्ष की दीर्ध अवधि के पश्चात् मात्र तकनीकी आधार पर आवंटन को चुनौती दिया जाना मात्र द्वेषतापूर्ण कार्यवाही जाहिर होती हैं। आवंटन दिनांक 08.01.1968 का गैर–खातेदारी से खातेदारी का नामान्तरकरण सं0 105 पटवारी हल्का द्वारा भरकर ग्राम पंचायत कुम्हारियावास के समक्ष प्रस्तुत किया गया हैं ग्राम पंचायत की मिटिंग में प्रस्ताव लेने के पश्चात् सरपंच ग्राम पंचायत कुम्हारियावास द्वारा दिनांक 05.02.1976 को राधाकिशन पुत्र जगन्नाथ के नाम नामान्तरकरण स्वीकार किया गया है। इस नामान्तरकरण को किसी द्वारा आदिनांक चुनौती नहीं दी गई हैं। इस प्रकार खातेदारी प्राप्त होने पर वर्तमान में अप्रार्थी के नाम दर्ज राजस्व अभिलेख हैं। सभी राजस्व अभिलेखों में राधाकिशन पुत्र जगन्नाथ अंकित हैं, आधार कार्ड, ग्राम पंचायत कुम्हारियावास द्वारा जारी वर्ष 2001–2010 के परिवार राशन कार्ड मे, विजया बैंक के खाते की पास–बुक में राधाकिशन पुत्र जगन्नाथ दर्ज हैं यदि किन्हीं निर्वाचक नामावलियों में अप्रार्थी का नाम राधाकिशन पुत्र चन्दा दर्ज हैं तो इसके लिए अप्रार्थी को दण्डित नहीं किया जा सकता हैं। निर्वाचक नामावलियों के आधार पर अप्रार्थी

न्यायालय अति. कलक्टर ... जयपुर

द्वारा कोई अनुचित लाभ प्राप्त नही किया गया है। अप्रार्थी ग्रामीण परिवेश का अनपढ़ किसान हैं। अप्रार्थी के विद्वान् अभिभाषक श्री शिवसिंह चौधरी का यह भी कथन हैं कि प्रार्थी के द्वारा, आवंटन दिनांक 08.01.1968 को बदनियतिपूर्वक लगभग 50 वर्ष की दीर्घ अवधि के पश्चात् चुनौती दी गई हैं जबकि अप्रार्थी को खातेदारी प्राप्त हो चुकी हैं। राजस्व अभिलेख में बतौर खातेदारी दर्ज हैं और गत 50–51 वर्षो से अप्रार्थी का कब्जा–काश्त हैं। आवंटी को आवंटित भूमि पर खातेदारी अधिकार प्राप्त हो जाने के पश्चात् राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भू–आवंटन) नियम,1970 के नियम 14(4) के अन्तर्गत कार्यवाही नहीं की जा सकती हैं। नियम 14(4) के अन्तर्गत खातेदारी अधिकार दिये जाने से पूर्व ही कार्यवाही की जा सकती हैं। खातेदारी के पश्चात् आवंटी को राजस्थान काश्तकारी अधिनियम,1955 के अन्तर्गत वे समस्त अधिकार प्राप्त हो जाते हैं जिनका प्रावधान अधिनियम में वर्णित हैं। आवंटन को जबकि कई दशक व्यतीत हो चुके हैं 50 वर्ष से भी अधिक समय गुजर चुका हैं जो कि एक असाधारण दीर्घ अवधि हैं। प्रार्थी द्वारा 50 वर्ष की दीर्घ अवधि के पश्चात् आवंटन को चुनौती दिये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण नहीं बताया हैं। पत्रावली पर ऐसे कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं हैं जो प्रार्थी के कथन की पुष्टि करते हो कि अप्रार्थी द्वारा किसी प्रकार के कूटरचित दस्तावेजात् तैयार किये हो। तकनीकी आधार पर 50 वर्ष की अवधि के पश्चात् आवंटी/खातेदार के विरूद्ध कार्यवाही किया जाना **Trevesty of justice** होगा। अतः अप्रार्थी द्वारा वरवक्त आवंटन सही तथ्य प्रस्तुत किये गये हैं जिनकी जांच आवंटन सलाहकार समिति/आवंटन अधिकारी द्वारा की गई हैं बाद जांच आवंटन का पात्र पाये जाने पर आवंटन किया गया हैं। आवंटन का गैर–खातेदारी/खातेदारी का नामान्तरकरण स्वीकार किया गया हैं। राजस्व अभिलेखों में व अन्य अभिलेखों में सद्भाविक रूप से राधाकिशन पुत्र जगन्नाथ दर्ज हैं और खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के पश्चात् अयुक्तियुक्त विलम्ब 50 वर्ष के पश्चात् बदनियति से आधारहीन तथ्यों पर चुनौती दी गई हैं। अतः प्रार्थना पत्र 14(4) अस्वीकार फरमाया जाकर आवंटन दिनांक 08.01.1968 बहक राधाकिशन पुत्र जगन्नाथ को यथावत रखा जावे। अप्रार्थी के अभिभाषक ने अपने कथन के समर्थन में निम्नलिखित न्यायिक दृष्टान्तो का वरवक्त बहस अभिकथन किया हैं :–

1. आरबीजे 1995 पेज 780
2. आरआरडी 1988 पेज 563
3. आरआरडी 2009 पेज 177
4. आरआरडी 2001 पेज 126

5 आरआरटी 2016 (2) पेज 756
6. एससीसी 2015 (3) पेज 695
7. आरआरटी 2016 (11) पेज 884
8. आरआरटी 2014 (11) पेज 759
9. आरआरडी 2001 पेज 126, 106, 467
10. आरआरडी 1996 पेज 501
11. आरआरडी 1993 पेज 596
12. एआईआर 1994 पेज 575

विद्वान् राजकीय अभिभाषक का कथन हैं कि आवंटी राधाकिशन वास्तविक रूप से चन्दा का जायन्दा पुत्र हैं और जगन्नाथ का पुत्र बनकर गलत आवंटन कराया हैं। आवंटन दिनांक के समकक्ष दिनांको के दस्तावेजात् में राधाकिशन पुत्र चन्दा अंकित हैं जब राधाकिशन, जगन्नाथ के गौद चला गया तो उसने राशनकार्ड, मतदाता सूची आदि में राधाकिशन पुत्र चन्दा नाम क्यों लिखवाया। अब आधारकार्ड व विजया बैंक के खाते की पासबुक में राधाकिशन पुत्र जगन्नाथ दर्ज हैं, तो यह आवंटन को बचाने की गरज से आवंटन को बचाने के लिए बाद में तैयार किया गया दस्तावेज हैं। पासबुक में यदि राधाकिशन पुत्र जगन्नाथ नाम दर्ज हैं तो वह तो जमाबन्दी में जो नाम दर्ज होगा वही राजस्व कर्मी द्वारा लिखा जायेगा। अतः तथ्यों को छिपाकर आवंटन कराया गया हैं जिसे निरस्त फरमाया जावे और भूमि को सिवायचक धोषित कर कब्जे राज लेने के आदेश फरमाया जावे।

हमने उभय–पक्षों की बहस पर गौर किया व पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी के विद्वान् अभिभाषक श्री संतोष पाल मीणा का वरवक्त बहस कथन रहा हैं कि राधाकिशन पुत्र जगन्नाथ नाम का व्यक्ति ग्राम श्री सवाई जयसिंहपुरा में नहीं हैं बल्कि राधाकिशन पुत्र चन्दा हैं, जिसने गलत तथ्यों के आधार पर दिनांक 8.1.1968 को आराजी खसरा नम्बर 251 रकबा 15 बीधा में से 4 बीधा का राधाकिशन पुत्र जगन्नाथ बनकर अवैध रूप से आवंटन कराया हैं। प्रार्थी के विद्वान् अभिभाषक के कथन की पुष्टि उनके द्वारा प्रस्तुत की गई नकल निर्वाचक नामावली जो दिनांक 1.1.1975 दिनांक 1.1.1983, दिनांक 1.1.2004, दिनांक 01.01.2009 व दिनांक 1.1.2014 को अनुमानित आयु मानते हुये तैयार की गई हैं, में क्रमशः क्र0सं0 90, क्र0सं0 54, क्र0सं0 215, क्र0सं0 239 व क्र0सं0 492 पर राधाकिशन / चन्दा दर्ज इन्द्राज से होती हैं। इसी प्रकार वर्ष 1987 में परिवार–कार्ड के लिए किये गये आवेदन पत्र में भी राधाकिशन ने राधाकिशन वल्दियत चन्दा

न्यायालय अति. कलक्टर जयपुर

अंकित की हैं, जिसको तत्कालीन वार्ड पंच ने प्रमाणित किया हैं। इस परिवार–कार्ड की पुष्टि स्वरूप सरपंच, ग्राम पंचायत–कुम्हारियावास द्वारा जारी पत्र दिनांक 13.01.2016 में भी सरपंच ने जाहिर किया हैं कि राशनकार्ड फार्म में मुखिया राधाकिशन पुत्र चन्दा द्वारा भरा हुआ आवेदन फार्म लगभग 1987 जिसको वार्ड पंच चन्दाराम द्वारा प्रमाणित किया हुआ हैं जो कि ग्राम सवाई जयसिंहपुरा तहसील–चाकसू का हैं। हालाकि पत्रावली में आवंटन पत्रावली उपलब्ध नहीं हैं परन्तु जो आवंटन प्रोसिडिंग रजिस्टर की जो प्रति प्राप्त हुई हैं उस मूल अभिलेख में राधाकिशन पुत्र जगन्नाथ जाट को आवंटन किया जाना अंकित हैं। आवंटन प्रोसिडिंग में यह अंकित नहीं हैं कि राधाकिशन पुत्र चन्दा दत्तक पुत्र जगन्नाथ जाट का हैं। आवंटन प्रोसिडिंग रजिस्टर में सीधे ही राधाकिशन पुत्र जगन्नाथ अंकित होने से यह स्पष्ट हैं कि राधाकिशन द्वारा उसके प्राकृतिक जायन्दा पिता का नाम अर्थात् चन्दा का नाम आवंटन सलाहकार समिति से छुपाकर आवंटन कराया हैं। विद्वान् राजकीय अभिभाषक के इस कथन से भी हम सहमत हैं कि जब राधाकिशन अपने आपको जगन्नाथ के गौद जाना बताता हैं तो उसने राशन कार्ड, मतदाता सूची में राधाकिशन पुत्र चन्दा नाम क्यों लिखवाया। अब आधार कार्ड, राशन कार्ड 2001–2010 व विजया बैंक के खाते की पासबुक में राधाकिशन पुत्र जगन्नाथ दर्ज हैं तो यह आवंटन को बचाने की गरज से सोचा समझा तैयार किया गया अभिलेख हैं। हम इस कथन से भी सहमत हैं कि कृषि पासबुक में यदि राधाकिशन पुत्र जगन्नाथ नाम दर्ज हैं तो वह तो जमाबन्दी में जो नाम दर्ज हैं उसी के आधार पर राजस्व कर्मी द्वारा कृषि पासबुक में नाम के विवरण का इन्द्राज दर्ज किया गया हैं। वरवक्त बहस अप्रार्थी राधाकिशन के विद्वान् अभिभाषक का कथन रहा हैं कि चन्दा की फौती का नामान्तरकरण चन्दा के केवल मात्र एक पुत्र छगन के नाम सरपंच ने स्वीकार किया हैं और इस नामान्तरकरण से राधाकिशन को जगन्नाथ के गौद गया हुआ जाहिर किया हैं, अप्रार्थी के विद्वान् अभिभाषक की इस दलील में हम कोई सार नहीं पाते हैं क्योंकि पत्रावली पर ऐसा कोई दस्तावेजी साक्ष्य नहीं हैं जो यह सिद्ध करता हो कि जगन्नाथ की कोई स्थाई सम्पत्ति हो अथवा कृषि भूमि हो और जगन्नाथ की फौती पर राधाकिशन को विरासत के फलस्वरूप प्राप्त हुई हो। पत्रावली पर ऐसा भी कोई दस्तावेजी सद्भाविक साक्ष्य नहीं हैं जो यह सिद्ध करता हो कि राधाकिशन को जगन्नाथ ने गौद लिया हो और राधाकिशन, जगन्नाथ का दत्तक पुत्र हो। इस प्रकार यह स्पष्ट जाहिर हैं कि

न्यायालय अति. कलक्टर जयपुर

राधाकिशन द्वारा तथ्यों को छिपाकर, दुष्प्रेरण से आवंटन प्राप्त किया गया हैं। वरवक्त बहस अप्रार्थी के विद्वान् अभिभाषक श्री शिवसिंह चौधरी का मुख्य रूप से यह भी कथन रहा हैं कि आवंटी को खातेदारी प्राप्त होने के एवं एक दीर्ध अवधि पश्चात् आवंटन को खारिज नहीं किया जा सकता हैं, अप्रार्थी के विद्वान् अभिभाषक के कथन से हम सहमत नहीं हैं क्योंकि राजस्थान भू–राजस्व (कृषि प्रयोजनार्थ भूमि आवंटन) नियम, 1970 के नियम 14(4) में स्पष्ट प्रावधान हैं कि उप खण्ड अधिकारी या तहसीलदार द्वारा या नियम 21 द्वारा निरसित नियमों के अधीन तहसीलदार द्वारा किये गये, किसी भी आवंटन को स्वप्रेरणा से या किसी व्यक्ति के आवेदन पर निरस्त करने की कलक्टर को शक्ति होगी, यदि आवंटन कपट या दुष्प्रेरण द्वारा प्राप्त किया गया हो। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजी साक्ष्यों से यह स्पष्ट जाहिर हैं कि आवंटी राधाकिशन ने कपटपूर्वक तथ्यों को छिपाकर वादग्रस्त आराजी का आवंटन प्राप्त किया हैं। कपटपूर्वक तथ्यों को छिपाकर प्राप्त किये गये आवंटन को निरस्त किये जाने के लिए नियमों में समय सीमा अवधि निर्धारित नहीं हैं परिणामस्वरूप कपटपूर्वक तथ्यों को छिपाकर प्राप्त किये गये आवंटन को निरस्त किया जाना हम न्यायोचित पाते हैं। अतः उक्त विवेचनानुसार प्रार्थना पत्र 14(4) प्रार्थी स्वीकार किया जाता हैं। आवंटन दिनांक 8.1.1968 बहक राधाकिशन पुत्र जगन्नाथ, जाति–जाट निरस्त किया जाता हैं।

निर्णय आज दिनांक 15.11.2017 को सरे इजलास सुनाया गया।

15/11/17

(सुनील भाटी)

अति. कलक्टर (द्वितीय)

जयपुर

न्यायालय अति. कलक्टर (द्वितीय) जयपुर